भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच

वरिष्ठ कोषाधि

उत्तर प्रदेश UTTAR

★★★ 18 OCT 2018 ★★★

गाजीपुर

AA 496731

न्यास-पत्र

हम कि राजेश यादव पुत्र स्व० श्री शंकर सिंह यादव, एकमात्र पट्टी, सिंहौरी सैदपुर, जिला गाजीपुर उ०प्र० का निवासी हूँ। हम मुकिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहा हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति आपसी सद्भाव व रचनात्मक शिक्षा व्यवस्था एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र एवं आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगार को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-चारा, आध्यात्मिक तालमेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-पाति, छुआ-छूत एवं सम्प्रदाय, ऊंच-नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। उपरोक्त के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/संस्थान की स्थापना की गयी है। हम मुकिर द्वारा उपरोक्त उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के वास्ते 10001(दस हजार एक रुपया) का न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं संचालन के बाबत यह न्यास पत्र भी निष्पादित किया है। जिसकी शर्ते निम्न प्रकार की जायेगी।

१. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "विमला शंकर संस्थान" (एकमात्रपट्टी) सिंहौरी सैदपुर, जिला गाजीपुर उ०प्र० आगे "न्यास" अथवा "संस्थान" शब्द से सम्बोधित

Rajesh Singh

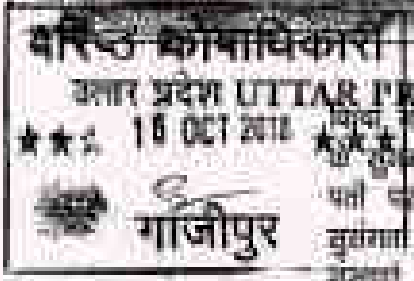

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
16 OCT 2018
गाजीपुर

AA 498...

किया गया है। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के वास्ते इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी और कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। पूर्व में हम मुकिर के पूर्वजों द्वारा जो संस्थाएं स्थापित कर उनका पंजीयन कराया गया है और जिनका विवरण इस न्यास पत्र में वर्णित न्यास के उद्देश्यों में दिया गया है वो हम मुकिर द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस न्यास / संस्थान के अधीन आयी व समझी जायेंगी। हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक होंगे तथा न्यास के प्रधान उपाध्यक्ष भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन एवं व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यासी के रूप में कार्य करने की सहमति है व न्यास की न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या 03 से कम तथा 07 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम द्वारा न्यास की उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य न्यासियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास <u>मण्डल / संचालन</u> मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नवत है-

1. मुख्य न्यासी- श्री राकेश यादव पुत्र स्व० श्री शंकर सिंह यादव, मु० एकमालपट्टी, सिधौरी, सैदपुर, जिला गाजीपुर, उ०प्र०।
2. न्यासी- श्री महेन्द्र यादव पुत्र स्व० श्री रघुनाथ यादव, ग्राम दुबैठा, पोस्ट बेलहा, जिला-गाजीपुर उ०प्र०।
3. न्यासी- राहुल यादव पुत्र श्री कैलाश यादव, ग्राम जौहा, पोस्ट रसूलपुर ..., जिला-गाजीपुर उ० प्र०।
4. न्यासी- अशोक यादव पुत्र श्री ... यादव, ग्राम ..., पोस्ट सिधौरी, सैदपुर, जिला-गाजीपुर उ०प्र०।
5. न्यासी- प्रभाकर यादव पुत्र श्री राकेश यादव, मु० एकमालपट्टी, सिधौरी, सैदपुर, जिला-गाजीपुर उ०प्र०।

(3)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 069968

★★★ 16 OCT 2018 ★★★

गाजीपुर

प्रार्थी ... द्वारा "विमला शंकर संस्थान" के नाम से जिस संस्था की स्थापना की जा रही है उसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना एवं आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
3. नव युवक, नव युवतियों एवं छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, जूनियरहाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, मदरसा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों एवं मेडिकल कालेज, फार्मेसी कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, पालिटेक्निक कालेज, शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों/कालेजों टेक्निकल कालेजों विश्वविद्यालयों की स्थापना।
4. वर्तमान समय में विज्ञान के मानव जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर प्रणाली पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान के विद्यार्थियों एवं प्रौद्योगिकी को आधुनिकतम टेक्नोलाजी के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध कराना।
5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाई-चारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सम्प्रदायिक राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरुक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
6. न्यास द्वारा स्थापित महाविद्यालयों के एवं शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चयन विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध समिति से लेना नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित करायी जायी प्रस्तावक योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 069969

16 OCT 2018

गाजीपुर

7. लिंग-भेद, जाति-पाति, छुआ-छूत, धर्म व सम्प्रदाय, ऊंच-नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/गोष्ठी/सेमिनार आदि की व्यवस्था करना।
8. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा एवं गैर तकनीकी, शिक्षा/तकनीकी, शिक्षा/विधि, शिक्षा/शिक्षण-प्रशिक्षण/व्यवसाय, विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित करना।
9. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए सेल्फ-फाइनेंस सभी प्रकार के विद्यालय महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान एवं आवास का निर्माण करना।
10. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालिटेक्निक, बैंक, पी०सी०एस०, आई०ए०एस० में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना एवं पालिटेक्निक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल कालेज एवं प्रबन्धन कालेज शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों/कालेजों आदि खोलना एवं उनका संचालन करना।
11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना उनके न मिलने की दशा में स्थान पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।
12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध करना उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
13. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई पेन्टिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक्स, रेडियो एवं टी०वी०, ट्रेनिंग, आई०टी०आई०, वर्कशाप, हार्ड वेयर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं की उपलब्धता कराना।

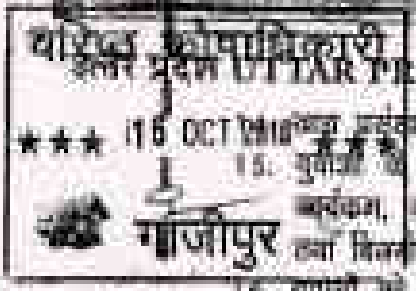

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वरिष्ठ कोषाधिकारी
16 OCT
गाजीपुर

आत्मरक्षा जैसे- जूडो, कराटे, कुश्ती, आसन योगा आदि का प्रशिक्षण देना।

15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे- टैण्टी कागज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, सिलाई, व्यायाम तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
16. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग देना संस्था का उद्देश्य है।
17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे- गूंगे, बहरे, अंधे, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।
18. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन पढ़ने-लिखने व उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा व व्यवस्था हो।
19. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता देना।
20. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार पढ़ाई केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ-शौचालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, डूंगा स्टेज, प्रशिक्षण हाल, पुलिया एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
21. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर लगाना वृक्षारोपण औषधियों एवं जड़ी बूटियों वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे) (फलोदी करवाई) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों एवं अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विलुप्त पौधों की खेती करना।
22. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उनके सम्बन्धित समस्त आवंटित योजनाओं को लागू करना तथा उनके संचालन के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को प्राप्त करना एवं संस्था के विकास हेतु कार्य करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 041071

उप-कोषाधिकारी

18 OCT 2016

गाजीपुर

23. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विभिन्न सम्प्रदायवादिता तथा अति क्षेत्रवादिता शक्तियों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं सामंजस्य की भावना का विकास करना।
24. संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना बेचना उन्हें किराये या लीज पर लेन-देन करना, मार्गीय करना या मकान बनवाना बेचना आदि।
25. विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सकें जैसे- यूनिसेफ, आई०सी०डी०एस०, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
26. घरेलू ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरा पालन तथा इनसे सम्बन्धित विभागों की जानकारी तकनीकी विकास के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।
27. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान, मसाला, गांजा, भांग, स्मैक, एल०एस०डी० या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वालों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सजग करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
28. समाज की व्याप्त कुरीतियों जैसे- अन्धविश्वास, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता, जाति-पाति एवं छुआ-छूत की भावना एवं हीनता भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता / प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
29. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रकार का आक्रमण / यौन प्रताड़ना कुरीतियों का सदैव परीक्षण, पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

(7)

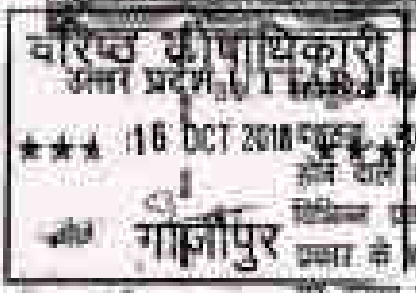

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
16 OCT 2018
गाजीपुर

सामूहिक खेल को बढ़ावा देना- विभिन्न त्योहारों जैसे- होली, दीपावली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे- शादी, गायन, सांस्कृतिक, सम्मेलन, पर होने वाले भोजन तथा अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हें प्रेरित करना।

विभिन्न प्रकार के खेल जैसे- योगा, जिम्नास्टिक, कुश्ती-कराटे, कबड्डी तथा कुश्ती एवं सभी प्रकार के शहरी एवं सभी प्रकार के परम्परागत ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

32. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण जागरूकता/प्रशिक्षण/कैम्प संचालन एवं देखभाल की व्यवस्था करना।

33. परिवार कल्याण के क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण परिवार नियोजन टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/कंडोम वितरण एवं प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा नसबंदी शिविर का आयोजन करना।

34. एड्स, कैन्सर, टी0बी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस(?) जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेंटल कालेज, मेडिकल कालेज एवं अन्य चिकित्सकीय पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

35. ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झुग्गी-झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास भोजन पेयजल स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

36. सरकारी कार्यक्रमों जैसे- कुष्ठ एवं … को संचालित करना।

37. सरकार की सहायता से गांवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खड़ंजा, पौध, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अन्न लाभांश से आवास बनवाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

38 कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगाने तथा उससे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा

(8)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 OCT 2018

गाजीपुर

के लिए आम लोगों तथा किसानों का विविध जानकारी उन्हें प्रोत्साहित व प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य पर दिलाना। तिलहन-दलहन कृषि बोर्ड से विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार प्रसार करना एवं द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

वर्मी कम्पोस्ट एवं साग-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि की रासायनिक उर्वरा से हो जाने वाले हानि से लोगों को अवगत करना।

बंजर एवं ऊसर भूमि गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत वातावरणीय संरक्षण जल एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

जल वायु ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण की जानकारी/नियंत्रण/उससे होने वाली बीमारियों से बचने के उपायों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए सकारात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

प्राकृतिक आपदा जैसे-हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्भिक्ष की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित जीव व्यक्तियों एवं पशुओं के सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों के बचाव एवं भावी रणनीति के लिए जागरूक/प्रशिक्षित करना। इसमें लोगों/संस्था तथा कर्मचारियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

लावारिस असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण, निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना। गो-वंशी जीवों की सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं की अवैध हत्या को रोकना तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।

तत्काल सुविधा पहुंचाने हेतु/सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार असहाय, वृद्ध, व्यक्तियों को निःशुल्क अस्पताल तक पहुंचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेंस/वैन की स्थापना करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 069974

वरिष्ठ कोषाधिकारी

18 OCT 2018

गाजीपुर

45. उन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभागों एवं एन०जी०ओ० के माध्यम से चलाया जा रहा है।
46. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए कार्यसमिति शिविरों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता दी जा सके।
47. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।
48. किसी एन०जी०ओ० द्वारा किये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।
49. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य के लिए सभी कार्य तथा कार्यक्रम जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का फिल्म, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य, कैसेट, साहित्य सामग्री, डाक्यूमेंट्री एवं नुक्कड़-नाटक आदि तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।
50. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था अथवा एन०जी०ओ०, ट्रस्ट, एसोसियेशन आदि को आर्थिक सहायता देना एवं आर्थिक सहयोग लेना एवं उनके क्रिया-कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।
51. सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों/संस्थाओं/फर्मों/कम्पनियों/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल-अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।
52. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 069975

वरिष्ठ कोषाधिकारी

16 OCT 2018

गाजीपुर

53. संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसकी शाखा या इसकी क्रिया-कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला / प्रदेशों में स्थापित करना।
54. सरकारी, सहकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण और सहायता प्राप्त करना।
55. अल्पसंख्यकों दलितों एवं पिछड़ों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
56. मकान / भवन का निर्माण करना एवं उसका क्रय-विक्रय करना तथा भूमि का क्रय-विक्रय करना संस्था के कार्य में शामिल होगा।
57. गरीबों एवं दलितों के सामूहिक विवाह का आयोजन करना एवं उसके लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करना।
58. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करके पशु एवं पक्षियों हेतु [illegible] की स्थापना करना।
59. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करके पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प प्राप्त करना एवं उसका संचालन करना।
60. राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करके एल०पी०जी० गैस एजेन्सी / डिस्ट्रीब्यूटर / डीलर प्राप्त करना एवं उसका संचालन करना।

छ) **न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य–**

1. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों के सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपविधियों को बनाना।
3. न्यास के अधीन संस्थाओं व समितियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपविधियों को बनाना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100 | ONE HUNDRED RUPEES | रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
16 OCT 20[illegible]
गाजीपुर

EL [illegible]

4. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं समितियों की सहायता के लिए विभिन्न प्रविधियों को विकसित करके तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सहायता शुल्क दान, चन्दा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।
5. [illegible] के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए [illegible] शुल्क प्राप्त करना।
6. न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास के बढ़ाव के लिए प्रचार प्रसार करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के कारण गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था संस्था में निहित करना।
8. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं विद्यालयों चिकित्सा केन्द्रों चिकित्सालयों शोध केन्द्रों गौशालों एवं अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
9. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों संस्थाओं सरकारी अर्द्धसरकारी गैरसरकारी विभागों से दान उपहार अनुदान व अन्य स्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।
10. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।
11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक एवं परास्नातक स्तर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सक्षम अधिकारी / कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

(12)

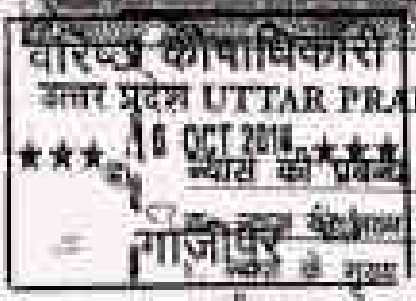

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
10 OCT 2016
गाजीपुर

EL 069957

न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था-

क- न्यास की व्यवस्था एवं संचालन- न्यास का प्रबन्ध एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा

1. न्यास के मुख्य न्यासी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होंगे और न्यास के मुख्य न्यासी को अपने जीवनकाल में अपने मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किसी परिस्थिति में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो न्यास के शेष न्यासीयों को मुख्य न्यासी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी व पुत्रों में से योग्य व्यक्ति व बहुमत के आधार पर न्यास का मुख्य न्यासी नामित करने का अधिकार होगा। परन्तु मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उसकी योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।
2. मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की असमर्थता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित सहन्यासी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
3. न्यास मण्डल के सदस्यों में से आवश्यकता को न्यास की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्ति किये गये न्यासीयों का कार्यकाल निश्चित किया जा सकेगा। न्यास के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन न्यास मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। न्यास के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मुख्यतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी यदि किसी परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सकता तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य न्यासी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यासी का निर्णय सभी न्यासीयों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।
4. न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा लेकिन न्यास मण्डल में इस प्रकार का कोई पद रिक्त होने पर न्यास मण्डल के पदाधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धित न्यासी के विधिक उत्तराधिकारियों में से की जायेगी यदि किसी न्यासी के एक से अधिक उत्तराधिकारी है तो उनमें से योग्य एवं न्यासी के प्रति निष्ठा भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्यास में सम्मिलित किये

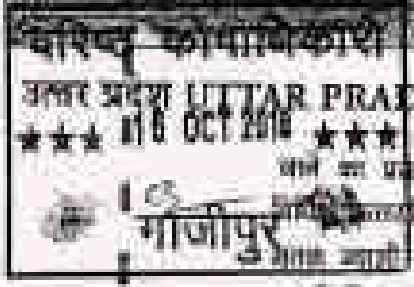

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
★★★ 16 OCT 2018 ★★★
गाजीपुर

कार्य का प्रबन्ध न्यास मण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा। न्यास मण्डल द्वारा प्रस्तावित उत्तराधिकारी के न्यासी के रूप में सम्मिलित होने से इनकार करने की स्थिति में प्रबंध न्यासी के वंशावली के दूसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य न्यासी अन्य न्यासियों के रिक्त स्थान की पूर्ति के सम्बन्ध में उक्त रूप में दिये गये उपबन्धों के द्वारा न्यास मण्डल के सदस्यों की मृत्यु के उपरान्त लिखित रूप से उत्तराधिकारी न्यासी नियुक्त करने का अधिकार बाधित नहीं होगा।

5. न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें साधारण बहुमत से न्यास पृथक किया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा यदि कोई विरोधी व्यक्ति को न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसकी प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार प्रबन्ध अधिकारी के अंगीकृत या अनुमोदित करके और प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी किसी भी संस्था से यदि कोई लेन-देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

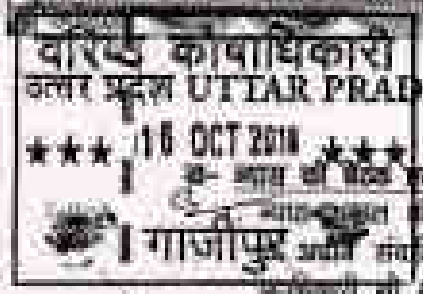

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
रु. 100
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
*** 16 OCT 2018 ***
गाजीपुर

EL 069978

अ- न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन-

1. न्यास/मुख्य न्यासी वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक आहूत होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं / समितियों के प्रबन्धक / सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारी भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना टेलीफोन, मोबाइल या समाचार पत्रों एवं व्यक्तिगत पत्र द्वारा अथवा सभी न्यासियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी एवं विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व दी जायेगी और उपरोक्त सभी न्यासियों का वार्षिक एवं विशेष बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक में अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी न्यासी मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित विषय एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अंतिम होगा।

(९) मुख्य न्यासी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. इस न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. न्यास सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
3. न्यास की समस्त कार्यवाही लिखना/लिखवाना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
4. न्यास की बैठक को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना न्यास मण्डल के सदस्यों को देना।
5. न्यास की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट न्यास मण्डल के समक्ष रखना।
6. न्यास की ओर से न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।

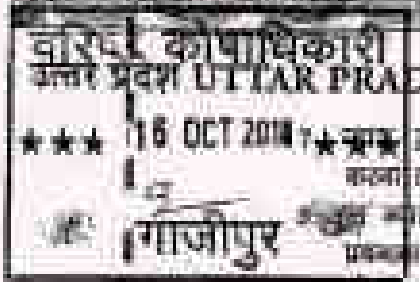

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
EL 049915
16 OCT 2018
गाजीपुर

7. न्यास द्वारा तथा न्यास के विरुद्ध सिविल कार्यवाहियों में न्यास की ओर से पैरवी करना तथा उसके लिए अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।

8. मुख्य न्यासी के विशेष द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा न्यास की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासियों के सहयोग से न्यास के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।

9. न्यास की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।

10. न्यास के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से न्यास के आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराना।

11. न्यास के लिए सम्बन्धित लेखों का सुरक्षित रूप से रख-रखाव करना।

(6) <u>न्यास के कोष की व्यवस्था-</u>

न्यास के कोष को सुरक्षित रूप से रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीयकृत / मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में न्यास के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें न्यास को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां व ऋण राशियां निहित होंगी। न्यास के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य न्यासी द्वारा अकेले अथवा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(7) <u>न्यास के अभिलेख-</u>

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा मुख्य न्यासी द्वारा समुचित रूप से न्यास के लिए सुसंगत रजिस्टर, कार्यवाही, समस्त रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

(8) <u>न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था-</u>

न्यास की सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से निहित की जायेगी।

क- यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों से वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से ऋण दान, सहायता ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी अचल व

Rajesh Kushwaha

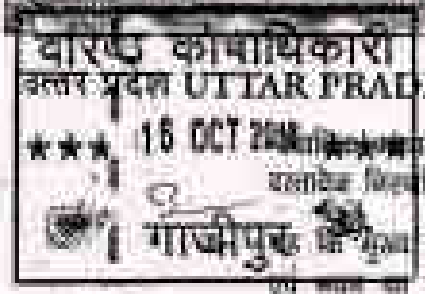

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
16 OCT 20..
गाजीपुर

EL D69911

माध्यम से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी किसी उचित व्यक्ति को अधिकृत करेंगे।

ख- मुख्य न्यासी न्यास की तरफ से स्थापित संस्थाओं को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय विक्रय कर सकेंगे या किसी पक्ष या अवैध कब्जाधारियों के अतिक्रमण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे।

ग- यह कि न्यास सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास और उसके अधीन संस्थाओं के एवं समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

घ- न्यास द्वारा स्थापित / संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रशासनिक विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास मण्डल का निर्णय अंतिम होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद को लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास में निहित रहेगी।

ङ- न्यास की आय-व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मुख्य न्यासी द्वारा लेखा परीक्षा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

च- न्यास द्वारा न्यास के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

छ- न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तें एवं सेवा पुस्तिका का निर्माण भी मुख्य न्यासी के अधीन होगा। न्यास

[illegible] 27-1-18

स्टाम्प विक्रय तिथि ___ क्रमांक ___ 4734
स्टाम्प विक्रय का प्रयोजन ___
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

राजेन्द्र सिंह यादव
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं०-20
लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च 20
[illegible]

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 41 के पृष्ठ 33 से 64 तक क्रमांक 31 पर दिनांक 05/11/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी जितेन्द्र बहादुर सिंह
उप निबंधक : सैदपुर
गाजीपुर
05/11/2018

प्रिंट करें

उप निबंधक, सैदपुर, जनपद-गाजीपुर • उत्तर प्रदेश •